प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति सं. 157/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026" जारी किए।

नई दिल्ली, 9 नवम्बर 2026 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **"दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026"** जारी किए। इन संशोधनों द्वारा आईपी-आधारित अंत:संयोजन के लिए पोर्ट प्रभारों का एक ढांचा प्रस्तुत किया गया है, जो ई1/टीडीएम-आधारित अंत:संयोजन के लिए पोर्टों पर लागू मौजूदा प्रावधानों का पूरक है। ये विनियम 1 जनवरी, 2027 से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार में अंत:संयोजन से आशय उन तकनीकी, परिचालन और वाणिज्यिक व्यवस्थाओं से है जो दो या अधिक दूरसंचार नेटवर्कों को जोड़ती हैं, जिससे उनके बीच दूरसंचार ट्रैफिक का प्रवाह संभव होता है और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के उपयोगकर्ता निर्बाध रूप से संचार कर सकते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ख), अन्य बातों के साथ-साथ, भादूविप्रा को सेवा प्रदाताओं के बीच अंत:संयोजन के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंत:संयोजन सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करती है।

3. दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 में अंत:संयोजन प्रदाता के अंत:संयोजन स्थल पर अंत:संयोजन लिंकों के जोड़ने (टर्मिनेट करने) समापन के लिए अंत:संयोजन प्रदाता को अंत:संयोजन चाहने वाले द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभारों का

09/11/2026

निर्धारण किया गया है। विद्यमान विनियम विरासतगत ई1/टीडीएम-आधारित पोर्ट प्रौद्योगिकियों पर आधारित थे और इनमें निर्धारित प्रभारों को अंतिम बार वर्ष 2012 में संशोधित किया गया था।

4. अंत:संयोजन संबंधी मामलों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा विनियामक ढाँचे को प्रासंगिक, पारदर्शी और सेवा प्रदाताओं के बीच कुशल अंत:संयोजन के अनुकूल बनाए रखने के लिए भादूविप्रा ने दिनांक 03.04.2025 को "अंत:संयोजन संबंधी मामलों पर भादूविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय पर पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से विनियामक ढांचे की समीक्षा आरंभ की। इस पूर्व-परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 की समीक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं।

5. तत्पश्चात, पूर्व-परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तथा पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रदान करते हुए "अंत:संयोजन संबंधी मामलों पर भादूविप्रा के मौजूदा विनियमों की समीक्षा" विषय पर दिनांक 10.11.2025 को एक परामर्श पत्र जारी किया गया था। परामर्श पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) विनियम, 2001 की समीक्षा के लिए हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। समय-सीमा बढ़ाए जाने के पश्चात, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथियाँ क्रमशः 15.12.2025 और 29.12.2025 थीं।

6. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों के उत्तर में सत्रह हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, जबकि नौ हितधारकों ने प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 28.01.2026 को परामर्श पत्र पर खुली परिचर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई। परामर्श प्रक्रिया

09/11/2026

के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026 को अंतिम रूप दिया है।

7. संशोधन विनियमों के प्रमुख बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

(i) <u>आईपी पोर्टों को मान्यता</u>: "पोर्ट" की परिभाषा को संशोधित करते हुए पूर्ववर्ती ई1 पोर्ट (2.048 एमबीपीएस) तथा आईपी पोर्ट, जिनकी बैंडविड्थ एमबीपीएस या जीबीपीएस में व्यक्त की जाती है दोनों को शामिल किया गया है।

(ii) <u>वार्षिक आईपी-पोर्ट प्रभारों की उच्चतम सीमा</u>: आईपी-पोर्ट प्रभारों की वार्षिक उच्चतम सीमा 1 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के लिए ₹5.6 लाख तथा 10 जीबीपीएस आईपी पोर्ट के लिए ₹42.3 लाख निर्धारित की गई है।

(iii) <u>अंत:संयोजन व्यवस्थाओं में लचीलापन:</u> अंत:संयोजन प्रदाता और अंत:संयोजन चाहने वाला (अन्वेषक) निर्धारित उच्चतम सीमा से कम प्रभारों पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं। वे 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस से भिन्न क्षमता वाले आईपी पोर्टों पर भी पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं जिनके लिए प्रभारों का निर्धारण 1 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस पोर्टों के लिए अपनाई गई समान पद्धति के आधार पर पारदर्शी रूप से किया जा सकता है।

(iv) <u>सेवाओं में एकरूपता:</u> आईपी-पोर्ट प्रभार फिक्स्ड-लाइन, मोबाइल, राष्ट्रीय लंबी दूरी तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवाओं पर समान रूप से लागू होंगे। पूर्व में निर्धारित प्रभार केवल ई1 पोर्टों पर लागू रहेंगे।

(v) <u>वित्तीय निरुत्साहन का श्रेणीबद्ध ढांचा</u>: विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन विनियमों के विनिर्दिष्ट प्रावधानों के उल्लंघन हेतु उल्लंघन के प्रत्येक मामले में प्रति

03/11/2026

सेवा क्षेत्र ₹15 लाख की अधिकतम सीमा के साथ श्रेणीबद्ध वित्तीय निरुत्साहन का ढांचा निर्धारित किया गया है।

8. संशोधन विनियमों द्वारा विनियामक प्रावधानों को तकनीकी प्रगति और क्षेत्रीय विकास के अनुरूप बनाया गया है। इनसे अंत:संयोजन ढांचे को सुदृढ़ करने तथा दूरसंचार नेटवर्कों के बीच निर्बाध संचार को सुगम बनाने की अपेक्षा है। विनियामक ढांचे का उद्देश्य प्रभावी अंत:संयोजन, पारदर्शिता, गैर-भेदभाव और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए सेवा प्रदाताओं को अधिक विनियामक निश्चितता प्रदान करना है।

9. "दूरसंचार अंत:संयोजन (पोर्ट प्रभार) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026" का पूर्ण पाठ, व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

10. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए श्री समीर गुप्ता, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग-I), भादूविप्रा से ईमेल आईडी: adv-nsl1@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907752 पर संपर्क किया जा सकता है।

03/11/2026

(हरिन्द्र कुमार)

सचिव, भादूविप्रा